राजस्थान सरकार
द्वितीय अपील अधिकारी एवं
प्रमुख शासन सचिव, चि. एवं स्वा. विभाग,शासन सचिवालय
जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति वीनू गुप्ता (IAS)

Johnson & Johnson Pvt. Ltd –Appellant

बनाम

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जयपुर–Respodent

द्वितीय अपील संख्या – 02/2017 अन्तर्गत धारा 38 (4) RTPP Act, 2012

निर्णय दिनांक 12.05.2017

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा 118 सर्जिकल एवं सूचर्स के लिये निविदा क्रमांक F02(28)/RMSC/Proc/S&S(Drug)/NIB07/2016/302 दिनांक 15.07.2016 जारी की गई जिसमें फर्म M/s Johnson & Johnson Pvt. Ltd. ने आईटम कोड S-1,S-74,S-79.S-80 तथा सूचर्स कोड संख्या R-8,R-9, R-11, R-12, R-13,R-15, R-17, R-18,R-19, R-20, R-21, R-22, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-75, R-33, R-34, R-37, R-38, R-39, R-41, R-44, R-45, R-46,R-48, R-50, R-51, R-64, R-65, R-67, R-68, R-69, R-70, R-71, R-72, R-73 & R-74 के लिये बिड प्रस्तुत की। निविदा की तकनीकी बिड दिनांक 14.10.2016 को खोली गई। तकनीकी मूल्यांकन उपरांत Tentative List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive दिनांक 20.01.2017 को जारी की गई। Tentative List पर अन्य फर्मो से प्राप्त अभ्यावदेनों का नियमानुसार परीक्षण किया जाकर Final List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive दिनांक 24.01.2017 को जारी की गई । आईटम कोड R-68 to R74 की Responsiveness/ Non Responsiveness को Laboratory test reports (Regarding Antibacterial Coating) तथा Technical /clinical evaluation reports के अध्यधीन रखते हुए निविदा की वित्तीय बिड दिनांक 24.01.2017 को खोली गई। निगम द्वारा आइटम्स् R-68 to

R74 की Laboratory test reports (Regarding Antibacterial Coating) तथा Technical /clinical evaluation reports प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 27.03.2017 को सभी तीन फर्मो को रेस्पोंसिव घोषित किया जाकर क्रय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 में L-1 दरों का अनुमोदन किया गया।

अपीलान्ट ने आइटम कोड R-68 to R74 की तकनीकी रेस्पोंसिव निर्धारण के बिना वित्तीय बिड खोलने एवं फर्म M/s Covidien Healthcare India Pvt. Ltd. के उत्पाद के Antibacterial नहीं होने के संबंध में प्रथम अपील की जिसको अपील अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 21.04.2017 से निर्धारित करते हुए अपील एवं स्थगन आदेश को निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर द्वितीय अपील की गई ।

हमने उभय पक्षों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों को सुना। अपीलान्ट की ओर से उपस्थित प्रतिनिधियों ने कमोवेश वही तथ्य दोहराये जिन्हें अपील के आधारों में वर्णित किया है। अपीलान्ट के अनुसार सूचर्स (आइटम कोड R-68 to R74) का तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण किये बिना ही वित्तीय बिड खोली गई है जो RTPP Act 2012 की धारा 32 का उल्लंघन है। निगम (respodent) द्वारा अपने पक्ष में कहा गया कि निविदा के अन्तर्गत प्राप्त सभी बिडों का तकनीकी दस्तावेजी मूल्यांकन पूर्ण किया गया तथा निविदा शर्त सं0 7 के अनुसार निविदा के अन्तर्गत प्राप्त सैम्पल्स Technical/clinical evaluation हेतु अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को भिजवाये गये। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा आइटम कोड संख्या के Antibacterial Coated होने अथवा न होने के संबंध में Laboratory Test प्रस्तावित किया गया। निविदा में उल्लेखित आइटम्स की दर संविदा माह सितम्बर 2016 में समाप्त हो जाने के कारण एवं आइटम कोड R-68 to R-74 की Laboratory test में अत्याधिक समय लगने की संभावना के मध्यनजर अन्य उत्पादों की आपूर्ति बाधित न हो, इस पर विचार करते हुए क्रय समिति द्वारा आइटम कोड R-68 to R-74 की Responsiveness का निर्धारण सशर्त करते हुए अन्य आइटमों के साथ जनहित में वित्तीय बिड खोलने का निर्णय लिया गया ताकि अन्य आइटम्स की दर अनुमोदित की जा सके। निविदा प्रक्रिया के तहत बिडर्स को जिस प्रारूप में वित्तीय दर

प्रस्तुत करनी होती है वह प्रारूप (BoQ) ई–प्रोक्यूरमेंट की साइट द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। ई–प्रोक्यूरमेंट के सिस्टम में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है कि किसी बिडर्स के आइटम विशेष की दर को Hide किया जा सके अर्थात् कुछ आइटमों की दरों को छोडते हुए अन्य आइटमों की दरों को खोला जा सके एवं बाद में छोडे हुए आइटमों की वित्तीय दरों को Open किया जा सके। आरएमएमसी द्वारा आइटम R-68 to R-74 की दरों का Responsiveness के निर्धारण से पूर्व Cognizance नहीं लिया गया तथा निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए सैम्पलस् की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही क्रय समिति के निर्णयानुसार दिनांक 27.03.2017 को List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive (For Item Code R-68 to R-74) जारी की गई। तत्पश्चात् क्रय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2017 में सफल बिडर्स से प्राप्त न्यूनतम दरों का अनुमोदन किया गया। निगम द्वारा दिनांक 20.01.2017 को जारी Tentative List of Bidders Declared Responsive/Non Responsive में वित्तीय बिड सशर्त खोलने का उल्लेख करते हुए आपत्तियॉ मांगी गई थी लेकिन फर्म द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करायी गई । यहॉ तक कि फर्म द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 30.03.2017 में भी वित्तीय बिड खोलने के संबंध में कोई आपत्ति अंकित नहीं की गई । लेकिन जब प्रश्नगत उत्पादो की तकनीकी रिर्पोट सफल बोलीदाता के पक्ष में हुई जब अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा अपील की गई है जिसमें यह स्पष्ट होता है कि कम्पनी को सारी प्रक्रिया पूरी तरह से पता थी तथा कुछ भी संबंधित बोलीदाता की जानकारी के बिना नही हुआ है। RTPP Act 2012 की धारा 32 Two stage Bidding system पर लागू होती है जबकि वर्तमान बिड Open competitive bidding (two cover) है। इस प्रकार निगम द्वारा आरटीपीपी अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। निगम द्वारा पूर्व में जारी अत्यधिक आइटम्स् वाली निविदाओं में अतिआवश्यक कारणों एवं पूरी निविदा प्रक्रिया बाधित नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए अपवाद स्वरूप conditionally तकनीकी रेस्पोंसिव निर्धारण करते हुए वित्तीय बिड खोली गई है तथा इस संबंध में फर्मो को पूर्व सूचित भी किया गया है।

अपीलान्ट ने यह भी अवगत कराया कि हमारे एवं एक अन्य फर्म M/s Futura Surgicare Pvt. Ltd के प्रोडक्ट की जॉच NABL lab - Oasis में कराई गई तथा फर्म M/s Covidien की जॉच Centre for Converging Technologies, University of Rajasthan में कराई गई है। निगम (respodent) द्वारा अपने पक्ष में कहा गया कि तीनों फर्मो के सैम्पलस् NABL lab - Oasis को भिजवाये गये थे जिसके द्वारा अपीलान्ट संस्था तथा फर्म M/s Futura Surgicare Pvt. Ltd की जॉच रिपोर्ट दी गई तथा M/s Covidien के संबंध में टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण रिपोर्ट देने में असमर्थता व्यक्त की गई । निगम द्वारा फर्म के सैम्पलस् की जॉच Centre for Converging Technologies, University of Rajasthan द्वारा कराई गई जो राजकीय संस्था है। तीनों फर्मो की प्राप्त Laboratory Test Reports पर तकनीकी राय हेतु निदेशक, राजकीय औषधि प्रयोगशाला, जयपुर एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के साथ Laboratory Test Reports को संलग्न कर अधीक्षक, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर को Technical/clinical evaluation Report को भिजवाई गई। अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तुत Technical/clinical evaluation Report में मूल्यांकन हेतु गठित समिति द्वारा तीनों कम्पनीयों के नमूनों को Antibacterial एवं निविदा specification के अनुसार पाये जाने की पुष्टि की है।

अपीलान्ट ने यह भी अवगत कराया कि पूर्व निविदा में M/s B.Braun Medical(I) Pvt. Ltd. को Product Permission में स्पष्टता नही होने के कारण Non Responsive किया गया था। निगम की तरफ से अवगत कराया गया कि M/s B.Braun Medical(I) Pvt. Ltd. के दस्तावेजो में स्पष्टता नही होने के कारण फर्म से clarification मांगा गया किन्तु फर्म द्वारा कोई जबाव नही देने के परिणामस्वरूप फर्म को Non Responsive किया गया। यही प्रक्रिया वर्तमान निविदा में भी अपनाई गई।

आरएमएससीएल द्वारा बिन्दुवार अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आरएमएससी द्वारा अपनाई गई बिड प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है तथा निविदा ई प्रोक्योरमेंण्ट

साइट के जरिये की गई है। अपीलकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि रेस्पोन्डेट द्वारा पूर्व में ही यह अवगत करवा दिया था कि आईटम्स कोड R-68 to R-74 की Responsiveness का निर्धारण Laboratory Test Reports एवं Technical/clinical evaluation Report के अध्ययधीन रहेगा। कम्पनी द्वारा इस पर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही करायी गई । यहां तक कि जब ई प्रोक्योरमेण्ट साईट के संबंध सभी कम्पनियों के उत्पादो की वित्तीय बिड खोली गई जिसमें प्रश्नगत R-68 से R-74 उत्पाद शामिल थे, उस समय कम्पनी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई लेकिन जब प्रश्नगत उत्पादो की तकनीकी रिपोर्ट सफल बोलीदाता के पक्ष में हुई जब अपीलकर्ता कम्पनी द्वारा अपील की गई है जिससे यह ज्ञात होता है कि कम्पनी को सारी प्रक्रिया पूरी तरह से पता थी तथा कुछ भी संबंधित बोलीदाता की जानकारी के बिना नही हुआ है। फर्म द्वारा दिनांक 30.03.2017 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में भी वित्तीय बिड खोलने की प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति नहीं की गई।

जहां तक प्रश्नगत उत्पादों के तकनीकी रूप से Antibacterial होने या नही होने का प्रश्न है, निगम द्वारा विषय विशेषज्ञों की अभिषंशा अनुसार Laboratory Test करवाया गया। तीनों फर्मो की प्राप्त Laboratory Test Reports पर तकनीकी राय हेतु निदेशक, राजकीय औषधि प्रयोगशाला, जयपुर एवं औषधि नियंत्रक राजस्थान के प्रतिनिधि की एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के साथ Laboratory Test Reports को संलग्न कर अधीक्षक, सवाईमानसिंह अस्पताल, जयपुर को Technical/clinical evaluation Report प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया । मूल्यांकन हेतु गठित समिति द्वारा आइटम कोड R-68 to R-74 के लिए निविदा में भाग लेने वाली तीनों फर्मो के सैम्पलस् को Antibacterial एवं निविदा specification के अनुसार माना गया है। निगम के द्वारा उपस्थित श्री अजीत जैन, सहायक औषधि नियंत्रक ने स्पष्ट किया कि "Antibacterial Coating is broad term which mean antibacterial efficacy either by bactericidal or bacteriostatic properties. Bactericidal agents are used to kill microorganisms by inhibiting the synthesis of cell wall whereas Bactriostatic agents are used to limit the

growth and reproduction of microorganisms by interfering with their protein production and DNA replication. The testing of two firm's (1. M/s Johnson & Johnson Pvt. Ltd. 2. M/s Futura Surgicare Pvt. Ltd.) product are bactericidal (zone of Inhibition) and third firm (M/s Covidien Healthcare India Pvt. Ltd.) have bacteriostatic properties. Testing by both methods considered antibacterial by the technical/clinical evaluation committee" । अपीलान्ट द्वारा सफल बोलीदाता के उत्पाद के Antibacterial नहीं होने के संबंध में कोई Technical Opinion प्रस्तुत नही की गई है। अतः स्पष्ट है कि आरएमएससी द्वारा सफल बोलीदाताओं के उत्पादो की जांच प्रकिया बिना किसी भेदभाव के सम्पादित की गई है एवं इससे अपीलान्ट के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडा है।

हमने पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क विर्तकों का एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। निगम द्वारा निविदा शर्तों के तहत के अनुसार कार्यवाही की गई है वह अपील के जवाब से एवं सुनवाई के समय में दिये गये तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आलौच्य निर्णय को यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेन्ट निगम द्वारा अपनाई गई प्रकिया को उचित एवं तर्कसंगत मानते हुए अपीलार्थी संस्था की द्वितीय अपील निरस्त की जाती है। निर्णय से दोनों पक्षकारों को अवगत कराया जावे आदेश की एक प्रति राज्य उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार रिकॉर्ड में संधारित की जावे।

(वीनू गुप्ता) IAS 14/5/17
अपीलीय अधिकारी
एवं
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग